भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नामः

जनपद रूद्रप्रयाग में खुज़ीर बैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुज़ीर बैण्ड–चौकी बर्सिल से तमिल्ड–सतेराखाल मोटर मार्ग का विस्तार– 0.99 है0 सिविल वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/9719/2015)

1. **टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):**

उपरोक्त योजना हेतु रूद्रप्रयाग वन प्रभाग में 0.99 है0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण में आरक्षित वन प्रभावित नहीं हो रहा है तथा अन्य वृक्ष आच्छादित भूमि को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रस्ताव 1 है0 से कम क्षेत्रफल तथा कुल वृक्षों की संख्या 50 प्रति है0 से कम होने के दृष्टिगत तथा प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त की संस्तुति के क्रम में जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्वांतिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से)
अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं
नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहरः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 2/03/2015
स्थानः देहरादून